Details of Queries/Replies for the month of June, 2017 under RTI Act :

Sl. No.	ID No.	Information sought	Reply/remarks
1.	ITPO/RTI/06/01/2017	1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की एकमात्र राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है I जबकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा संचालित सभी वेबसाईटों/मोबाइल वेबसाइटों/मोबाइल एप्प आदि पर हमेशा अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती देना इन सभी के द्वारा हमेशा अंग्रेजी वेबसाइट को हिंदी वेबसाइट से पहले अदयतित किया जाता है हिंदी वेबसाइट अक्सर अदयतित भी नहीं की जाती है अर्थाह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा संचालित सभी वेबसाईटों/मोबाइल वेबसाइटों/मोबाइल एप्प आदि पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है और राजभाषा के पद और गरिमा का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा गया है । क्या राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा संचालित सभी वेबसाईटों/मोबाइल वेबसाइटों/मोबाइल एप्प बनाने के लिए कोई नियम/निर्देश जारी किय है, निर्देश के प्रति उपलब्ध करवाएं? यदि निर्देश नहीं जारी हुए तो इस महत्वपूर्ण विषय पर राजभाषा विभाग कब तक कोई ठोस निर्णय लेगा जाकि भारत के राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा संचालित सभी वेबसाईटोंमोबाइल वेबसाइटों/मोबाइल एप्प पर राजभाषा का अपमान और राजभाषा की दुर्दशा का अंत हो सके और राजभाषा को प्राथमिकता मिल सके, सूचित करें । 2. द्विभाषी (बायलिंगुअल/डिगलऑट) का आशय क्या है? क्या कोई दस्तावेज हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग उपलब्ध हो, और पूर्व निर्धारित रूप से नागरिकों को केवल अंग्रेजी वाला दस्तावेज दिया जाता हो, परंतु कोई नागरिक मांग करे तो उसे हिंदी वाला दस्तावेज दिया जाता हो तो क्या ऐसे दस्तावेज को माना जाता है ? 3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह (लोगो) किस तरह किस किस भाषा में बनाए जाने चाहिए इस सम्बंध में जारी हुए आदेश/निर्देश की प्रतिलिपि प्रदान करें I 4. भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों/ संस्थानो/निगमों/ कार्यालयों तथा कंपनियों द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह (लोगो) राजभाषा प्रावधानों के उल्लंघन में बनाए गए हैं इस उल्लंघन को रोकने के लिए राजभाषा ने स्वत: संज्ञान लेकर किन-किन मंत्रालयों/निगमों/संस्थानो/निगमों तथा कंपनियों को प्रतीक चिन्ह सम्बंधी निर्देश के पालने हेतू कार्यवाही की है सूचना प्रदान करें । 5. भारत सरकार के किन-किन मंत्रालयों/विभागों और निगमों तथा कंपनियों द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह (लोगो) को बनाने में राजभाषा अधिनियम/नियम के प्रवधानों और राजभाषा विभाग के उक्त निर्देश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है ? 6. प्रतीक चिन्ह (लोगो) को बनाने सन्बंधी राजभाषा	इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि मांगी गई सूचना राजभाषा विभाग, भारत सरकार से सम्बंधित है। यह सूचना इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन से सम्बंधित नही है I आई.टी.पी.ओ. द्वारा इस्तेमाल प्रतीक चिन्ह जोकि लेटर हेड पर छ्पा/मुद्रित है, मे कोई भाषा नही है । अत: यह प्रतीक चिन्ह राजभाषा अधिनियम का अनुपालन करता है ।

		अधिनियम/नियम के प्रावधानों और उक्त निर्देश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पिछ्ली बार कब यह निर्देश/आदेश/प्रवधान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निगमो/ कार्यालों को प्रसारित/परिचालित किए थे, सूचित करें। 7. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निगमो/ कार्यालों/आयोगो तथा कंपनियों द्वारा अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म, पी.डी.एफ फॉर्म, वर्ड फॉर्म, भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र किस तरह बनाए जाने चाहिए इस सम्बंध में जारी हुए आदेश/निर्देश की प्रतिलिपि प्रदान करें। 8. राजभाषा विभाग की वेबसाइट htt://ww.rajbhasha.gov.in/पूर्व निर्धारित रूप से सीधे (बाई डिफौल्ट) राजभाषा में खुलती है इसके विपरीत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निगमो/तथा कंपनियों की वेबसाइट पूर्व निर्धारित रूप से सीधे (बाई डिफौल्ट) राजभाषा में नहीं खुलती है बल्कि अंग्रेजी में खुलती है ऐसा किस नियम के तहत किया जाता है सूचित करें । 9. संसदीय राजभाषा समिति की आठ्वीं रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर दिनांक 2 जुलाई 2008 को राष्ट्रपति जी के आदेश संख्या l/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-I) जारी हुए थे, उनमें विदेश मंत्रालय को निम्निलिखित आदेश जारी हुआ था, राष्ट्रपति जी के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पिछ्ले साढे आठ वर्षो में क्या-क्या कार्यवाही की है और विदेश मंत्रालय का इस विषय पर क्या रूख है, सूचित करें ।	
2.	ITPO/RTI/06/02/2017	Please find enclosed herewith a photocopy of letter No. **लेखा अनुभाग**-24/DL/3588/436/9197 dated 26.12.2016 received from Employees' Provident Fund Organisation, Delhi. As may be seen from this letter my service in ITPO has been shown w.e.f. 1.1.1992 which work out to approx. 20 years till attaining the age of 58 years, whereas in the case of one of the ex-TDA employees the service till attaining the age of 58 years i.e. upto July 2011 has been shown 37 years and accordingly ex-TDA employees are being paid higher pension. In view of above for pursuing the matter with EPFO the following information may please be provided under RTI Act 2005. i) Under Employees Pension Scheme 1995, the dates from which the contribution have been paid to EPFO in respect of ex-TFAI employees and ex-TDA employees by ITPO.	The contribution have been paid to EPFO in respect of ex-TFAI employees w.e.f 1.1.1992 and ex-TDA employees w.e.f. 1974.
		ii) The dates from which the ex-TFAI and ex-TDA employees have been enrolled as member of EPFO for Employees Pension Scheme 1995.	
		iii) List of ex-TDA employees sent to EPFO pursuant to implementation of office order No.Admn/1254/2011 dated 15.12.2011 issued by ITPO for providing the benefit of Employees Pension Scheme 1995. iv) As per letter dated 15.5.2017 received from ITPO (Copy enclosed), it is stated that ex-TDA Employees were already member of EPFO before issue of office order dated 15.12.2011. As such list may be provided in respect of ex-TDA Employees showing the contribution remitted to EPFO for the period prior to implementation of Employees Pension Scheme 1995 in ITPO.	List of employees will be shown to you at the time of inspection of file.

		v) Inspection of file Ex-TFAI & Ex-TDA showing complete information sent to EPFO pursuant to implementation of office order No.Admn./1254/2011 dated 15.12.2011 issued by ITPO for providing the benefit of Employees Pension Scheme 1995, such as i) list of Ex-TFAI & Ex-TDA Employees ii) contribution sent to EPFO iii)date of enrollment as member of EPFO etc.etc. After inspection of file photocopies of relevant papers may please be provided for which charges will be paid as per RTI Act 2005.	Shri Ashok Kumar, DM, Finance(N/F), ITPO, New Delhi has been nominated to arrange inspection of the relevant file. You may inspect the same on 03.07.2017 at 3.30 p.m. The inspection shall be conducted in the Right To Information Cell, India Trade Promotion Organisation, Pragati Maidan, New Delhi. Please also note that for inspection of file(s), no fee is charged for the first hour and a fee of Rupee five is charged for each subsequent hour (or fraction thereof) thereafter.
3.	ITPO/RTI/06/03/2017	1. Why your department had purchased Canon photocopier vide order no. GEMC17596-8 dated 26.04.2017 under PAC buying.	The referred machine was procured as per specification provided by user Division to meet with compatibility with accounting software in use and time bound nature of output.
		2. Do you know that the same specifications as canon model IR adv 4225 purchased under PAC buying are available with any other reputed brand on GEM?	Seeking reason/ clarification is not covered under the ambit of information as defined under section 2(f) of the RTI Act. However, no search was made for alternative machine in view of specific demand by user Division.
		3. If yes, why did you purchased under PAC buying?	Not applicable
		4. If no, why didn't you search about photocopier as per filter available on GEM for specifications without any PAC buying? What the special features were	Seeking reason/ clarification is not covered under the ambit of information as defined under section 2(f) of the RTI Act. However, in view of specific demand, no need was felt appropriate to search for any other compactable machine.
		5. required in your department for which canon machine was purchased by you under PAC buying which are not available with other reputed brands on GEM."	The referred machine was procured as per specification provided by user division in view of exigencies and compatibilities specified to meet with compatibility with accounting software in use. The referred machine meets requirement of user department. The old version Tally Jenicom installed in Salary Section become absolete and in view of time bound work, as per requirement said machine was procured.
4.	ITPO/RTI/06/04/2017	कृपया करके डिपार्ट्मेंट ऑफ कामर्स तथा उसके अधीन सभी विभागों के द्वारा प्राकाशित की गई सभी पुस्तकों व अन्य प्रकाशनो की एक प्रति भेजने की कृपा करें।	Please send Prisoner Certificate for further necessary action.